

08.05.2026

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(रोहिताश्व सिंह तोमर)  
जिला कलक्टर, सिरौही